

सहायक जज मुकाम केम काटे मालीपछडी

रीना केबर बनाम कोटारिंह

का. 188 नं. 109 तम 2018

राजस्थान लोक अदालत काठियावाड़

न्याय आदेश दि. 2018

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

27-6-18

पञ्चमी राजस्थान लोक अदालत केम काटे मालीपछडी में देखा हुई। पञ्चमी एवं पञ्चमी पर उपलब्ध रिपोर्ट का अवलोकन कि पञ्चमी को अपने पति जयसिंह शर्मा का रिपोर्ट निवेद्या का बाद पेश किया है। वादिना का ^{बाद} आधी-आधी के साथ रिपोर्ट प्रत्या का बाद-चल सकता है। रिपोर्ट निवेद्या का बाद खारिज के द्वारा ही किया जा सकता है। वादिना का बाद चलने योग्य नहीं है खारिज किया जा रहा है। पञ्च रिपोर्ट प्रत्या के बाद रिपोर्ट प्रत्या के बाद खारिज प्रमाण लक्ष्य रखी निर्णय राजस्थान लोक अदालत केम काटे मालीपछडी के मामले कास में मिलवाया जाय।

EARL 18/8
राजस्थान लोक अदालत

